**संख्या- 13 /2019/ पी-160/अड़तीस-9-2019-09(बजट)/2017**

**प्रेषक,**

**विजय बहादुर वर्मा**
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक- 30 मार्च, 2019**

**विषय-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में केन्द्रांश के रूप में रू0 732.00 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 488.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5608/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2019 दिनांक-25.03.2019 एवं पत्र सं0-5609/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2019 दिनांक-25.03.2019 तथा पत्र संख्या-5662/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2019 दिनांक-28.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-पी0-17024/26/2006-आर0सी0(पी0ए0आर0टी0) (वी0ओ0एल-1) (एफ0टी0एस0 नं0-339266) दिनांक-25.03.2019 की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 732.00 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 488.00 लाख अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि रू0 1220.00 लाख (रू0 बारह करोड़ बीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि रू0 287280.92 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्रशासनिक व्यय मद में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 732.00 लाख (रू0 सात करोड़ बत्तीस लाख मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 488.00 लाख अर्थात (केन्द्रांश+ राज्यांश) कुल धनराशि रू0 1220.00 लाख (रू0 बारह करोड़ बीस लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(1)** स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता का उलंघन न हो, सुनिश्चित किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ का होगा।

**(2)** आंकडों की शुद्धता का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुस्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

**(3)** स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ का होगा।

**(4)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा, अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

**(5)** स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष् में जमा कराने/गाईड लाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व यूपीआरआरडीए लखनऊ का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

**(6)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के गाइडलाइन्स/दिशा निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

**(7)** स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.03.2019 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

**(8)** धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्यता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(9)** स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(10)** उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665816 में तत्काल जमा किया जायेगा।

**3-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 की आशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-288/दस-2019 दिनांक- 30 मार्च, 2019 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय**,

**विजय बहादुर वर्मा**
संयुक्त सचिव।

**संख्या-13 /2019/पी-160(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

**1-** महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**2-** प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**3-** सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
**4-** डा0 सुरभि राय, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कक्ष सं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
**5-** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**6-** वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
**7-** अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**8-** मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
**9-** वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
**10-** निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
**11-** गार्डबुक।

**आज्ञा से**,

**विजय बहादुर वर्मा**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in